संख्या–775 / 33–3–2010–100(6) / 09

प्रेषक,

आर0 के0 शर्मा
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0 लखनऊ।

2. निदेशक,
पंचायती राज लेखा,
उ0प्र0 लखनऊ।

4 संयुक्त आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उ0प्र0 लखनऊ।

4. उपनिदेशक,
जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक,
उ0प्र0 लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊ:: दिनांक:: 08 अप्रैल, 2010

विषय :– वित्तीय वर्ष 2010–11 में वेतन भत्ता आदि मद में आयोजनागत / आयोजनेत्तर पक्ष में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु निर्वतन पर रखे जाने वाली धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक पंचायती राज के पत्र संख्या–1 / 28 / 2010–1 / 129 / 2009 दिनांक 7–4–10 तथा निदेशक पंचायती राज लेखा के पत्रांक नि0प0रा0ले0 / ले0–1 / 167(2010–11) / 22 दिनांक 5–4–09 तथा संयुक्त आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या–537 / रा0नि0आ0 / लेखा / 2010 दिनांक 6–4–10 तथा तदविषयक वित्त (आय व्ययक) अनु0–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–951 / दस–2010–231 / 10 दिनांक 26–3–10 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या–14 के लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम में वेतन भत्ता आदि मद में आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि रु0–4,18,25,55,000 / –तथा आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि रु0–4,51,48,49,000 / – कुल धनराशि रू0 8,69,74,04,000 / – (रू0 आठ अरब उन्हत्तर करोड़ चौहत्तर लाख चार हजार मात्र) के सापेक्ष इतनी ही धनराशि रू0 8,69,74,04,000 / – (रू0 आठ अरब उन्हत्तर करोड़ चौहत्तर लाख चार हजार मात्र), जिसका विवरण संलग्न सूची में अंकित किया गया है, को निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(2) निर्वतन पर रखी ज़ा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय व्ययक) अनु0–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–951 / दस–2010–231 / 10 दिनांक 26–3–10 में उल्लिखित निर्देशो का कडाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) व्यय करने से पूर्व जिन मामलो में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशो के अन्तर्गत राज्य सरकार / केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। कृपया सुनिश्चित किया जाये कि धनराशियों का व्यय प्रतिमाह कुल धनराशि का 1 / 12 भाग ही हो यदि किसी माह में 1 / 12 भाग से अधिक की धनराशि के व्यय का औचित्य पाया

जाय तो उस धनराशि के व्यय करने से पूर्व शासन की अनुमति प्राप्त की जाय। संलग्न सूची के अनुसार अधिक का व्यय न किया जाय।

(4) निदेशक पंचायती राज, निदेशक पंचायती राज लेखा, तथा सचिव राज्य निर्वाचन आयोग अपने से संबंधित जिला कार्यालयों को वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष एकमुश्त आहरण की अनुमति नही दी जायेगी। वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यतानुसार धनराशि के कोषागार से आहरण की फेजिंग का स्वीकृति आदेश में समावेश सुनिश्चित किया जायेगा जो सामान्यतः 02 माह की आवश्यकता से अधिक नही होगी।

(5) वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलो में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहो तथा अन्य स्थायी आदेशो के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलो में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(6) शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है, अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–सी0ए0–934/दस–2008–मित–1/2007 दिनांक 2–9–08 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(7) निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0–13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशो द्वारा विनियमित होगी।

3– यह आदेश प्रशासकीय विभागो को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

संलग्नक :–यथोक्त.

भवदीय,

(आर0 के0 शर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–2/आडिट–2, इलाहाबाद।
2– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3– मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, पंचायती राज निदेशालय।
4– कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5– मण्डलीय उपनिदेशक(पंचायत) उ0प्र0।
6– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–2/वित्त (आय व्ययक) अनु0–1/राज्य योजना आयोग–1
7– गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(डी.एस. श्रीवास्तव)
विशेष सचिव